सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 87
02/02/2018

तीन पी0आई0ओ0 को लगा 25–25 हजार रू0 का दण्ड

पटना–02 फरवरी, 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–93373/13–14, वाद सं0–105772/13–14 एवं वाद सं0–117510/14–15 के मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्रीमती लाडली कुमारी, श्री नागेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं श्री चन्द्रशेखर प्रसाद को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश में टालमटोल करने के एवज में क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद को 25000/–(पचीस हजार) रू0 लोक सूचना पदाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी धनपटिया, बेतिया को 25000/– (पच्चीस हजार) रू0 तथा लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावां, पटना को 25000/– (पच्चीस हजार) रू0 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ संबंधित तीन जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ ही भेजी है कि दण्ड राशि की कटौती कर आयोग को भी सूचित किया जाय।

ज्ञातव्य है कि उक्त दो मामलों की अगली सुनवाई दिनांक 07 अप्रैल, 2018 एवं एक मामले 117510/14–15 की सुनवाई आयोग कार्यालय में साढ़े दस बजे पूर्वाह्न होगी।

******